

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ़ (राजस्थान)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा)

निर्णय दिनांक 9/10/2025
 ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 89/2025 दायर दिनांक 9/10/2025 रिपोर्ट

क्र.स.	नाम	खाता नम्बर	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	इन्दरपुरा	83	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26/09/2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में वडौदा राजा 0 शै0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	1. भेरुलाल पिता शंकरलाल पूर्विया सा. केसरखेडी खातेदार साहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुराणा स्वीकार की जाकर राज.भू. स. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम इन्दरपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 83 में वर्तमान प्रविष्टी वडौदा राजा 0 शै0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी 1. भेरुलाल पिता शंकरलाल पूर्विया सा. केसरखेडी खातेदार साहिन वडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	शुद्ध प्रविष्टी 1. भेरुलाल पिता शंकरलाल पूर्विया सा. केसरखेडी खातेदार साहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	

पटवार इन्दरपुरा
 कपासन
 (उपखण्ड अधिकारी)

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
 (उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलक्टर
 कपासन जिला-चितौडगढ़

